न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– कमल राम मीना, आर.ए.एस.

अपील सं0:–32/2013 **(223 आर.टी.एक्ट)**

उनवान

1. मौहम्मदीन,
2. हाकमदीन,
3. साबूदीन,
4. नवाबदीन पुत्रान स्व0 मुन्सरफ मेव,
5. हमसीदा पुत्री स्व0 मुन्सरफ मेव,
6. सुमेरबी पत्नि स्व0 मुन्सरफ मेव, निवासीयान भांखेड़ा तहसील अलवर जिला अलवर वारिस काबिज जायदाद मृतक मुन्सरफ पुत्र पृथ्वी मेव ।

.....वादीगण/अपीलांट्स

बनाम

1. मल्ली पत्नि बागदल मेव,
2. आसीना,
3. आसूदीन पुत्रान बागदल मेव,
4. आसीनी पुत्री बागदल मेव निवासीगण ग्राम भांखेड़ा तहसील जिला अलवर राज0 वारिस काबिज जायदाद बागदल पुत्र मल्लड़ मेव मृतक ।
5. रज्जाक पुत्र मल्लड़ मेव,
6. गफूर पुत्र श्योसिंह मेव,
7. शकूर पुत्र श्योसिंह मेव,
8. लाला पुत्र श्योसिंह मेव,
9. अलतूमिया पुत्र श्योसिंह मेव क्रमांक 6 ल0 9 वारिस काबिज जायदाद श्योसिंह मृतक निवासीयान ग्राम भांखेड़ा तहसील जिला अलवर राज0,
10. साबूदीन पुत्र फौजी मेव,
11. सुब्बी,
12. रमजान पुत्रान फौजी मेव निवासी भांखेड़ा तहसील जिला अलवर ।

18/11/19

13. हाजरा बेवा फौजी मेव निवासी भांखेड़ा तहसील जिला अलवर कमांक 10 से 13 वारिस काबिज जायदाद फौजी मृतक ।
14. नूरमौहम्मद पुत्र पृथ्वी जाति मेव निवासी ग्राम भांखेड़ा तहसील जिला अलवर राज0
15. करणसिंह पुत्र रामस्वरूप जाति छीपी निवासी रामानन्द नगर लाल डिग्गी शहर अलवर जिला अलवर ।
16. अली हुसैन पुत्र शौकिना खान निवासी ग्राम भांखेड़ा तहसील जिला अलवर राज0 ।

..... असल रेस्पो0/प्रति0

17. तहसीलदार लैण्ड होल्डर अलवर राज0 ।
18. अब्दुल पुत्र सिताब मेव निवासी भांखेड़ा तहसील जिला अलवर ।

..... तरतीबी रेस्पो0/प्रतिवादी

उपस्थित :–
1. श्री ब्रह्मप्रकाश शर्मा अभिभाषक अपीलांट ।
2. असल रेस्पो0 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं आये ।

::: निर्णय :::

दिनांक :–18.01.2019

यह अपील विद्धान सहायक कलक्टर, अलवर के निर्णय व डिक्री दिनांक 01.10.2012 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी/अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा बाबत तकसीम आराजी इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम भांखेड़ा के आराजी ख0 नं0 140 रकबा 0.21 ऐयर के वादी नं0 2 1/3 हिस्से में से 1/3 हिस्से का खातेदार है और वादी नं0 1 अकेला 1/3 हिस्से का खातेदार है । बाकी रकबे में वादी नं0 2 के साथ पृथ्वी फौजी के उत्तराधिकारी मुस्तर्कन खातेदार है । प्रतिवादी नं0 3 ल0 6 1/3 हिस्से में से 1/3 हिस्से के खातेदार हैं । प्रतिवादी नं0 1 व प्रतिवादी नं0 2 दोनों 1/3 हिस्से में से 2/3 हिस्से के खातेदार है । वादी नं0 1 अकेला 1/3 हिस्से का खातेदार है । प्रतिवादीगण तकसीम करने से इन्कार किया और वादीगण को उनके हिस्से के अनुसार काबिज रहकर उपयोग व काश्त वगैरा करने में बाधा डालने को और जबरन बेदखल करने को कहा । वादी अपने हिस्से मुताबिक जमाबन्दी के अनुसार वाद तकसीम सैपरेट अमल व दखल कराने का अधिकारी है । प्रारम्भिक डिक्री तकसीम की व अमल दखल की फरमाई जाकर 1/3 हिस्से में से 1/3 हिस्सा वादी नं0 2 का जो इस आराजी में है व अलग सैपरेट करके 1/3 हिस्से में से 1/3 हिस्से पर वादी को जर्ये तकसीम अमल व दखल की डिक्री प्रदान करने का निवेदन किया । विद्धान तहत न्यायालय ने दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को तलब किया जिनके द्धारा इकबाल दावा पेश किया गया । विद्धान तहत न्यायालय ने दोनों पक्षों के विद्धान अभिभाषकगण की बहस सुनकर दि0 01.10.2012 को वादी का वाद खारिज कर दिया

18/1/2019

जिस निर्णय व डिक्री दि0 01.10.2012 से व्यथित होकर अपीलांट ने अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पो0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया लेकिन असल रेस्पो0 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं आये । तहत अदालत की पत्रावली तलब करते हुए विद्वान अभिभाषक अपीलांट की एकपक्षीय बहस सुनी गयी ।

अभिभाषक अपीलांट ने बहस में कथन किया कि सहायक कलक्टर अलवर के निर्णय व डिक्री दिनांक 01.10.2012 के विरूद्ध यह अपील पेश की है । वादी/अपीलांट का दावा तकसीम व स्थाई निषेधाज्ञा का था तथा विवादित आराजी वादीगण एवं प्रतिवादीगण सह काश्तकारों के मध्य तकसीम होनी थी । वादीगण के दावा के तथ्यों को प्रतिवादीगण असल ने स्पष्ट रूप से स्वीकार करते हुए इकबाल दावा पेश किया था जिससे स्पष्ट रूप से साबित था कि वाद में केई विवाद बिन्दू ही नहीं था । इसलिए तहत न्यायालय ने भी कोई तनकी कायम नहीं की । जब कोई विवाद था ही नहीं और प्रतिवादीगण ने स्पष्ट रूप से दावा का समर्थन किया यानि दावा को स्वीकार कर डिक्री पारित करने हेतु अपनी सहमति स्वेच्छा से प्रदान कर दी थी तो तहत न्यायालय को दावा स्वीकार करके प्रारम्भिक डिक्री पारित करनी चाहिए थी । तहत न्यायालय ने अपने निर्णय में दावा खारिज करने का जो आधार लिया है कि दावा रेकार्डेड खातेदार के मध्य आराजी का तकासमा नहीं किया जा सकता । तहत न्यायालय ने दावा में प्रस्तुत जमाबन्दी वगैरा का सही तरह से अवलोकन नहीं किया जिसमें वादीगण व असल प्रतिवादीगण का नाम खातेदार की हैसियत से संयुक्त रूप से अंकित है । तहत न्यायालय ने अपने निर्णय में वाद खारिज करने का एक आधार यह भी लिया है कि प्रतिवादी सं0 1 बागदल के वारिसान के नाम का दावा में उल्लेख नहीं है जो स्पष्टतया तहत न्यायालय ने गलत लिया है । प्रतिवादी सं0 2 बागदल के वारिसान 1/1 ल0 1/4 स्वयं अदालत ने रेकार्ड पर लिया है । कानून का सर्वमान्य सिद्धान्त है कि किसी रेकार्डेड खातेदार का स्वर्गवास दौराने दावा हो जाता है और उसके वारिसान दावा में रेकार्ड पर आ जाते है यानि मृतक के वारिसान की हैसियत से पक्षकार अदालतद्धारा बना लिये जाते हैं तो यही समझा जावेगा कि वे मूल खातेदार पक्षकार जो दावा में है उसके स्थान पर उसी हैसियत से पक्षकार बने है जैसे वादी सं0 2 मुन्सरफ एवं प्रतिवादी सं0 2 बागदल विवादित आराजी के खातेदार काश्तकार थे तो उनके स्थान पर उनके वारिसान दावा में पक्षकार बनाये गये हैं वे भी खातेदार काश्तकार कहलायेगें जिस तथ्य को तहत न्यायालय ने समझने में अहम त्रुटि की है और उन्हें गलत रूप से गैर रेकार्डेड खातेदार मानकर दावा खारिज किया है जो तहत न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्तनीय है और अपील अपीलांट स्वीकार करने का अनुरोध किया ।

हमने अभिभाषक अपीलांट की एकपक्षीय बहस सुनी । पत्रावली का अवलोकन किया । तहत न्यायालय की पत्रावली में पेश रेकार्ड, अपील के तथ्यों, दावे के तथ्यों का अवलोकन करते हुए तहत न्यायालय द्धारा पारित आदेश दिनांक 01.10.2012 का अवलोकन किया ।

18/11/19

अपीलांट का वाद विभाजन का है तथा तहत न्यायालय ने मृतक बागदल के वारिसान को रेकार्ड पर नहीं लेने एवं सह खातेदारों को पक्षकार मुकदमा नहीं बनाने पर वाद वादी खारिज किया है । पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि मृतक बागदल के वारिसान को रेकार्ड पर लेने हेतु प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 सी.पी.सी. पेश किया हुआ है परन्तु तहत न्यायालय ने यह निर्णित ही नहीं किया है । मृतक के विरूद्ध डिक्री जारी नहीं की जा सकती है । इसलिए तहत न्यायालय का निर्णय व डिक्री त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त योग्य है और प्रकरण तहत न्यायालय को पुनः प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य है ।

अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है । विद्वान अधीनस्थ सहायक कलक्टर, अलवर के निर्णय व डिक्री दि0 01.10.2012 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण विद्वान तहत न्यायालय सहायक कलक्टर अलवर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे प्रकरण में मृतक के वारिसान को रेकार्ड पर लेने तथा उन्हें साक्ष्य व सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करते हुए गुणावगुण पर पुनः निर्णय पारित करें। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें ।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 18.01.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया । 18/1/19

(कमल राम मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अलवर